



भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

कार्यालय प्रधान आयुक्त

केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

मुख्यालय : नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैट्यू सर्किल, जयपुर -302005 (राज.)

Ph. No./ फोन नं. : 0141- 2385359

E-Mail: admncejpr1@gmail.com

Fax No./ फैक्स नं. : 0141- 2385222

प्रशासन शाखा

कार्यालय आदेश सं.: 09/2023

दिनांक: 04.10.2023

सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण 2023 के तहत इस आयुक्तालय द्वारा अधीक्षक एवं निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना हेतु जारी किये गए स्थापना आदेश संख्या 19/2023 दिनांक 21.09.2023 व 20/2023 दिनांक 21.09.2023 के सन्दर्भ में निर्देश दिए जाते हैं कि, सभी नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी अधिकारी को कार्यभार मुक्त करने से पहले वे सभी जरूरी और समयवद्ध मामलों का उचित प्रकार से हैंडओवर / टेक ओवर नोट के साथ अपना प्रभार सौंपेंगे एवं जिसकी एक प्रति सहायक आयुक्त (का. एवं सत.) को सूचनार्थ /रिकॉर्ड हेतु आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की चूक के मामले में समस्त जिम्मेदारी नियंत्रण अधिकारी की होगी।

यह आदेश प्रधान आयुक्त महोदय की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

(ऋषि यादव)

अपर आयुक्त (का. एवं सत.)

फा.सं. ET/MISC/79/2021-ADMN/

1351

दिनांक: .10.2023

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. अपर / संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
3. उप / सहायक आयुक्त, (का. एवं सत./तक./विधि/रिव्यू/न्याय निर्णय/प्रशिक्षण/सेरा ऑडिट/टीआरसी/कर- अपवंचना/कंप्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
4. उप / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर मंत्रालय- 'ए' से 'आई', जयपुर एवं 'जे' से 'के', अजमेर।
5. नोटिस बोर्ड / गार्ड फ़ाइल
6. आक्षेप (computer) विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Signed by Rishi Yadav

Date: 04-10-2023 18:04:32

Reason: Approved